(क) क्या यह सच है कि देश में चालू वर्ष के दौरन प्याज का उत्पादन कम होने के बावजूद प्याज के निर्यात के लिए स्वीकृति देदी गयी थी,

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वित्ती वर्ष 1997-98 के दौरान प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध था,

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान प्याज के निर्यात की अनुमति दिए जाने के क्या कारण है, और

(घ) निर्यात के लिए प्याज के आवंटन की कुल मात्रा कितनी है?

खाद्य और उपभोक्त मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) और (ख) प्याज के निर्यात को फरवरी, 1998 में अस्थायी रूप से रोक दिया गया था और प्याज की खरीफ की फसल की आवक के कारण 4.3.98 से इस रोक को हटा लिया गया था। प्याज के निर्यात पर दुबारा फिर 8.10.98 से 31.1.99 तक के लिए रोक लगा दी गयी है ।

(ग) 1 फरवरी , 98 में प्याज के निर्यात पर लगायी गयी अस्थाई रोक को मार्च, 98 में प्याज की रबी फसल की आवक के कारण हटा दिया गया था, ताकि निर्यातकों की वचनबद्धताओं को पूरा किया जा सके और किसानों के हितों की रक्षा की जा सके । तथापि, 1998-99 की प्याज की खरीफ की फसल को हुई क्षति का आकलन करने के बाद निर्यात पर लगायी गयी रोक को फिर से बहाल कर दिया गया है।

(घ) चालू वर्ष के दौरान अप्रैल से अक्तुबर, 1998 के बीच में कुल 2,13 लाख मीट्रिक टन प्याज का निर्यात किया गया, जबकि अप्रैल-अक्तुबर, 1997 के दौरान 3.18 लाख मीट्रिक टन का निर्यात किया गया था । 18.10.98 से प्याज का कोई निर्यात नहीं किया गया।

देश में प्याज की मांग तथा उत्पादन

677. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**

श्री कपिल सिब्बल:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 1996-97 के दौरान प्याज की घरेलु आवश्यकता को नजरअंदाज करते हुए 358.6 करोड़ रूपये के मूल्य के प्याज का निर्यात किया गया था, जबकि प्याज के कुल उत्पाद्न का मूल्य 642.9 करोड़ रूपए था ,

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैः

(ग) क्या यह भी सच है कि चालू वर्ष 1998 के दौरान देश में प्याज की कुल आवश्यकता संबंधी एक आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो आवश्यकता की मात्रा कितनी है तथा किन-किन स्रोतो से यह आवश्यकता पूरी किए जाने की संभावना है और प्रत्येक स्रोत से कितनी-कितनी मात्रा उपलब्ध होगी?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) और (ख) वर्ष 1996-97 के दौरान प्याज की कुल 5.13 लाख मी. टन मात्रा का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 331.63 करोड़ रूपए था । 1996-97 के दौरान प्याज के 44.3 लाख मी. टन मात्रा का उत्पादन किया गया । प्याज के कुल उत्पादन में से लगभग 75 प्रतिशत का उपयोग घरेलु खपत के लिए, लगभग 10-12 प्रतिशत का उपयोग निर्यात के लिए, 2-3 प्रतिशत का उपयोग बीज और प्रसंस्करण के लिए किया जाता है तथा 10-12 प्रतिशत मात्रा सूखने और विकृत होने आदि के कारण बर्बाद हो जाती है।

(ग) और (घ) देश में प्याज की कुल आवश्यकता का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है । वर्ष 1998-99 के दौरान प्याज का अनुमानित उत्पादन लगभग 44.5 लाख मीं. टन होने की संभावना है।

दिल्ली में नमक की बिक्री

678. **श्री शिव सोरेन:** क्या खाद्य उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार खाद्य पदार्थो के बाजार-भाव प्रतिदिन देश में 37 स्थानों से एकत्र किए जाने के बाद अगले दिन दिल्ली पहुंचते है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में नमक का भरपूर भंडार होने के बावजूद 25 अक्तुबर से 3 नवम्बर, 1998 के बीच देश मे नमक 30 रूपये से 60 रूपये किलों की दर से बेचा गया,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ड) सरकार द्वारा इस मामले में उठाए गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) और (ख) 18 केंद्रों

के संबंध मे खाद्य वस्तुओं की बाजार दरें दैंनिक आधार पर और 37 केंद्रो के संबंध में उन्हे सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को एकत्र किया जाता है। साप्ताहिक मूल्य, संबंधित सप्ताह एत्रकेे बाद पड़ने वाले स्पताह के भीतर प्राप्त होते है।

(ग) और (घ) नमक की कमी के बारे में शिकायतें अक्तुबर के अंत में तथा नवम्बर की शुरूआत में कुछ दिनों के लिए कुछ स्थानों से प्राप्त हुई थी, हालांकि जिन केन्द्रो से मूल्य एकत्र किए जाते है वहां से नमक की बढ़ी-बढ़ी दरें लेने के बारे मे कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

(ड) नमक की कमी की रिपोर्ट वास्तविक कमी के कारण नहीं बल्कि अफवाह से प्रेरित थी। देश में नमक का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने के बारे में पर्याप्त प्रचार किया गया। उद्योग मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने नमक विनिर्मातओं के साथ एक बैठक की, ताकि देशभर में बाजार में नमक की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखी जा सके। इस समय बाजार में नमक आसानी से उपलब्ध है।

Rice Storage Facility in Madhya Pradesh

679. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether proper storage facility is available for the rice produced in Vidisha and Rajgarh districts of Malwa region in Madhya Pradesh;

(b) whether large quantity of w.heat produced in Vidisha district is spoiled every year due to non-availability of storage facility and rail wagons;

(c) the district-wise number of godowns being built by Government; and

(d) by when these godowns are likely to be built?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA. PAL SINGH YADAV): (a) The procurement of paddy.in whole of Madhya Pradesh is being undertaken by State agencies viz. Madhya Pradesh State Civil Supplies Corporation and MARKFED, and these agencies deliver Customs Milled Rice for Central Pool to FCI. In Vidisha and Rajgarh districts of Malwa region, there has been no procurement of paddy and delivery of Custom Milled Rice. There is also no delivery of levy rice to FCI in Vidisha and Rajgarh districts.

(b) No, Sir. FCI has its own scientific godowns of 10000 MTs at Vidisha coupled with CAP storage of approximately 2500 MTs. No outward rail movement is undertaken from Vidisha as the wheat stocks purchased in Vidisha are also consumed within the FCI districts by resorting to road movement.

(c) At present, there is no proposal for construction of godowns in Madhya Pradesh by FCI due to sufficiently available total capacity of 14.48 lakh MTs.

(d) Does not arise.

Ban on Permanent Selection of Assistant Professors in AIIMS

680. DR. B.B. DUTTA Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that permanent selection of faculty members (Assistant Professor) at entry level in the All India Institute of Medical Sciences is closed since September, 1994;

(b) if so, the details thereof, alongwith the reasons therefor;

(c) whether Government propose to move this matter again in the High Court, citing the verdict given by Supreme Court in the case of PGI, Chandigarh, so as to protect the interest of the Institute and ensure its effective and purposive functioning as a referral hospital;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI): (a) and (b) No regular appointments to the post of Assistant Professor are being made in the Institute since November, 1994 due to a pending court case in the High Court of Delhi and the matter is subjudice.

(c) to (e) AIIMS have informed that the judgement of the Supreme Court dated 17.4.98 will be brought to the notice of the Delhi High Court at the next date of hearing.